

TO BE LAID ON THE TABLE OF THE LOK

(9)

राजस्वी सं. दी. (अ. ए.)-72

REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का गज़ापत्र

The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

शासिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

मा. 521] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 1986/ब्रह्महायन 24, 1908
No. 521] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 15, 1986/AGRAHAYANA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अवय अंकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

ब्राह्महायन संक्षेप

प्रधिकार

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1986

का. घा. 914 (भ) :—केन्द्रीय सरकार, हिंदू और प्रवासी धर्म अध्याद नियंत्रित उपकर
प्रबन्धन, 1985 (1986 का 3) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, 15 दिसम्बर, 1986 को ऐसी तारीख के रूप में स्थित करती है जिसको
उच्च अधिनियम के उपरांत प्रवृत्त होगे।

[घ. घ. 11/16/86—द. दी. (एम. 4)]
दी. दी. दी. दी. संयुक्त सचिव

1292GI/86

(1)